CC I (H)

आनन्द मार्ग चर्याचर्य

(प्रथम खण्ड)

प्रवक्ता व प्रवर्त्तक
श्री आनन्दमूर्त्ति

CCI(H)

आनन्द मार्ग चर्याचर्य

(प्रथम खण्ड)

SAVIDYA VIMUKTAYE
No.....
LIBRARY

प्रवक्ता व प्रवर्त्तक
श्री आनन्दमूर्त्ति

आनन्द मार्ग प्रचारक संघ (केंद्रीय)
द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित

द्वितीय संस्करण—भाद्र पूर्णिमा १९६३
तृतीय संस्करण—आनन्द पूर्णिमा १९६९

प्रकाशक :—

आचार्य चिरानन्द अवधूत

प्रकाशन सचिव (*Publication Secy.*)

आनन्द मार्ग प्रचारक संघ

आनन्दनगर, पुरुलिया

(प० बं०)

मुद्रक—आनन्द प्रेस, हेसल, रांची-५

मूल्य—०.७५ पैसे]

[*price—Rs. 0.75*

विषय सूची

			पृष्ठ
१	शिशु का जातकर्म	....	१
२	आचार्य, तात्विक, पुरोधा और धर्ममित्रम्	...	७
३	स्मार्त और जीवमित्रम्	....	९
४	आचार्य के साथ सम्पर्क	...	१०
५	शिलान्यास	....	१०
६	गृहप्रवेश	....	११
७	वृक्षरोपण	...	१२
८	यात्रा प्रकरण	...	१२
९	विवाह विधि	...	१३
१०	जन्मतिथि-कृत्य	...	२१
११	सामाजिक उत्सवों का अनुष्ठान	...	२१
१२	स्नान विधि और पितृ यज्ञ	...	२५
१३	धर्मचक्र	....	२८
१४	तत्वसभा	...	३१
१५	जागृति	....	३१
१६	श्रद्धानुष्ठान	....	३१
१८	आदर्श दायाधिकार व्यवस्था	...	३४
१९	स्त्री पुरुष का सामाजिक सम्पर्क	...	३७
२०	प्रणाम विधि	....	३७
२१	निमंत्रण विधि	...	४०
२२	शव [मृतदेह] सत्कार	....	४१
२३	पोशाक परिच्छद	...	४२
२४	अहार	....	४३
२५	जीविका निर्वाह	...	४६

२६	नारी की जीविका	....	४६
२७	अर्थनीति	....	४७
२८	विधवा	....	
२९	विज्ञान तथा समाज	....	४८
३०	आदर्श गृहस्थ	....	४८
३१	सामाजिक शास्ति	....	५०
३२	साधना	....	५२
३३	मार्गीय सम्पद्	....	५५
३४	आत्म विश्लेषण	....	५१
३५	तुम लोनों की विभिन्न संस्थाये	....	५६
३६	तात्विक, आचार्य पुरोधा और धर्ममित्रम्	....	६०
३७	अवधूत और अवधूत बोर्ड	....	६३
३८	गुरु वन्दना		

—: चरम निर्देश :—

जो दोनों समय नियमितरूप से साधना करता है मृत्युकाल मे परमपुरुष की भावना उसके मन मे अवश्य ही जगेगी एवं निश्चितरूप से उसकी मुक्ति होगी ही। अतः प्रत्येक आनन्दमार्गी को दोनों समय साधना करनी ही होगी—यही है परमतुरुष का निर्देश। यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। अतः यम-नियम का पालन करना भी परमपुरुष का ही निर्देश है। इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है कोटि-कोटि वर्षों तक पशुजीवन के क्लेश मे दग्ध होना। किसी मनुष्य को उस क्लेश मे दग्ध होना नहीं पड़े तथा परमपुरुष की स्नेहच्छाया मे सभी आकर शाश्वती शान्ति लाभ करें; इसलिए सभी मनुष्यों को आनन्द-मार्ग के कल्याण पथ पर लाने की चेष्टा करना ही प्रत्येक आनन्द-मार्गी का कर्त्तव्य है। दूसरों को सत्-पथ का निर्देशन करना साधना का ही अङ्ग है।

—श्री श्री आनन्दमूर्त्ति

आनन्द मार्ग चर्याचर्य

१

शिशु का जात कर्म
(अर्थात् अन्नप्राशन तथा नामकरण)

त्तकर्म :—

शिशु की आयु छः मास (छः मास से एक वर्ष के तर) कीहोने पर कम से कम पांच गुरुभाई किसी एक दिन एक साथ ंगे और शिशु उन लोगों के सामने लेटा रहेगा। तत्पश्चात् सर्व ाम आचार्य (आचार्य उपस्थित नहीं रहने पर उपस्थित वयोवृद्ध) र उनके बाद उपस्थित सभी व्यक्ति कहेंगे :—

ओम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवःमाध्विर्णः सन्त्वोषधि धुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिव रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावोभवन्तु नः
ओंम् मधुः ओंम् मधुः ओंम् मधुः ॥

O,nm madhuva'ta' rta'yate madhuks'arantu sindhavah madhvirn'ah Santvosadhi. Madhunaktamutas'aso madhumat pa'rthiv am' rajah madhudyaorastu nah pita'. Madhuma'nno vanaspati mdhuma'n, astu su,ryo ma'dhvirga'vo bhavantu nah. O,nm madhuh O,nm madhuh O,n'm madhuh.

मन्त्रार्थ :—

वायु मधु बहाकर लावे,
समुद्र मधु क्षरण करे,
हमलोगों की ओषधियाँ मधुमय हों।
दिवा रात्रि मधुमय हों,
पृथिवी की धूलि मधुवत् हो;
देवलोक पितृलोक मधुरुप से प्रतिभात हो।
हम लोगों की वनस्पति मधुयुक्त हो।
हम लोगों का पशु समूह (गृहपालित पशु)
मधु देनेवाला हो।
ब्रह्म मधु, ब्रह्म मधु, ब्रह्म मधु।

इसके बाद मातृभाषा या उपस्थित व्यक्तियों के समझने योग्य भाषा में कहेंगे—हे करुणामय ब्रह्म ! आज यह शिशु जो हमलोगों के बीच हमलोगों के समाज में आया है, हमलोग सभी मिल कर उसका भरण-पोषण, चिकित्सा तथा शारीरिक उन्नति का विधान कर सकें।

इसके बाद प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति एक-एक लोटा समयानुसार शीतल या अर्द्ध उष्ण जल लेकर एक दूसरे बड़े बर्त्तन में ढालेंगे तथा फिर कहेंगे :—

ओंम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः
ओंम मधुः ओम मधुः ओम मधु ॥

हे करुणामय ब्रह्म ! आज यह शिशु जो हमलोगों के बीच हमलोगों के समाज में आया है, हमलोग उपयुक्त शिक्षा द्वारा उसकी मानसिक उन्नति का विधान करने में सक्षम हों।

इसके बाद उपरोक्त विधि के अनुसार फिर एक-एक लोटा जल उसी बड़े बर्त्तन में ढालेंगे और तत्पश्चात् कहेंगे:—

ओंम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः
ओंम् मधुः ओंम् मधुः ओंम् मधुः ॥

हे करुणामय ब्रह्म ! आज यह शिशु जो हमलोगों के बीच हमलोगों के समाज में आया है, हमलोग उपयुक्त शिक्षा द्वारा उसका आध्यात्मिक उन्नति का विधान कर सकें।

सब भाषा-भाषियों का सुविधा के लिये यह मन्त्र केवल संस्कृत भाषा में पढ़ा जायेगा।

इसके बाद फिर उसी प्रकार सभी लोग जल ढालेंगे और कहेंगे:-

ओम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि
मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता
मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः

ओम् मधुः ओम् मधुः ओम् मधुः ।।

हे करुणामय ब्रह्म ! आज तुम जो इस शिशु के रूप में हमले के बीच आये हुए हो इसके भीतर हमलोग तुम्हारा व्यापक विकाश सकें ।

हमलोगों ने मिलित रूप से इस शिशु का नाम रक्खा····

इसके बाद शिशु का अभिभावक, शिशु को उसी पवित्र जल से स्न करायेंगे । तत्पश्चात् शिशु सर्व प्रथम अन्न (*Solid food*) ग्र करेगा । इस कर्म में प्रीतिभोज की व्यवस्था पूर्णरूप से स्वेच्छा निर्भर करती है । यह व्यक्ति-विशेष की आर्थिक अवस्था पर नि करती है । उधार अथवा ऋण लेकर प्रीतिभोज की व्यवस्था कर निषेध है ।

सन्तान की उत्पत्ति के इक्कीस दिन बाद शिशु तथा प्रसूति स्न के पश्चात् लौकिक विचार से शुद्ध समझी जायेगी ।

दीक्षा-प्रणाली:—

शिशु के पाँच वर्ष की आयु में पिता-माता, भ्राता, भगिनी या क भी अभिभावक उसे 'नाम-मन्त्र' की दीक्षा निम्नोक्त रूप से देंगे (अर्थात् पाँच वर्ष की आयु में शिशु को कुछ ज्ञान होगा उस स

उसको पद्मासन में बैठना सिखा कर दोनों हाथों की अंगुलियाँ एक दूसरे में नहीं घुसा कर दोनों हाथ ऊपर-नीचे रख कर मेरुदण्ड सीधा करके बैठा कर, शिशु को सोचना सिखायेंगे कि उसके चारों तरफ जो कुछ भी है या जो कुछ भी वह देखता है सभी 'ब्रह्म' है ।)

इसके बाद शिशु बारह वर्ष की आयु में आचार्य से 'साधारण योग' की तथा सोलह वर्ष अथवा उसके बाद किसी भी आयु में आचार्य से 'सहज योग' की दीक्षा लेगा । अत्यावश्यक होने पर सोलह वर्ष की आयु से भी पहले आसन सिखाया जा सकता है ।

जो 'सहज योग के अभ्यस्त हैं उनकी यदि उत्कट इच्छा हो और नित्य दिन काफी समय मिले तो पुरोधागण विचार करके उनमें से कुछ लोगों को ' विशेषयोग'' की दीक्षा देंगे । दीक्षा-दान के लिये आचार्य या पुरोधा अपने शिष्य भाइयों से किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं लेंगे, किन्तु आचार्य या पुरोधा की जिससे आर्थिक स्थिति की रक्षा हो सके उस पर विचार रखना मार्ग के प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है ।

जिनकी आयु बारह से अधिक है उन्हें नाम मन्त्र की दीक्षा देने का अधिकार आचार्य, तात्विक और धर्ममित्रम् आदि को है । इसलिये वे किसी तरह का पारिश्रमिक नहीं लेंगे । इसमें दक्षिणा विधि प्रारम्भिक, 'साधारण' और 'सहज' के समान है । नाम मन्त्र में किसी शुद्धि या मन्त्रोच्चारण की मात्रा सम्बन्धी विधि नहीं है ।

'नाम मन्त्र' प्राप्त व्यक्ति जिसमें धीरे-धीरे यम-नियम विधि भी सीख ले—इसकी व्यवस्था भी कर देनी होगी । जहाँ तक सम्भव हो, एक

उन आचार्यों में से जो दुरुह विशेष योग में अभिज्ञ हैं, केवल वे ही पुरोधा की शिक्षा पावेंगे।

(ग) जो लोग कम से कम ५०० व्यक्तियों को (विशेष क्षेत्र में १२५ व्यक्तियों को) आध्यात्मिक भावधारा में उद्बुद्ध कर सकेंगे वे समाज में धर्म्ममित्रम् के नाम से सम्बोधन तथा सम्मानित होंगे—उन लोगों में अन्य कोई योग्यता रहे अथवा न रहे। जिन आचार्यों के १००० भी शिक्षा भाई हैं वे भी समाज में धर्ममित्रम् कहलायेंगे।

(घ) जिन आचार्यों के १०० शिक्षा भाई है या जो कम से कम २० व्यक्तियों [विशेष क्षेत्र में पाँच व्यक्तियों] को आध्यात्मिक भावधारा में उद्बुद्ध कर सकेंगे, वे तात्विक की शिक्षा पायेंगे।

(ङ) मार्ग के दायित्वपूर्ण पदों के लिए जहाँ तक सम्भव हो पुरोधाओं को ही निर्वाचित या मनोनीत करना होगा।

(च] मार्गीय आदर्श के सार्वभौम प्रचार का लक्ष्य रखते हुए, केन्द्रीय समिति की सम्मति और पुरोधाप्रमुख की स्वीकृति के अनुसार इस नियम में सामयिक शिथिलता हो सकती है।

(३) स्मार्त और जीव मित्रम्

जो सभी तात्विक चर्याचर्य से विशेष अभिज्ञ है, उनमें से जो अपने को बड़ी विपत्तियों में डाल कर भी साहस के साथ कुसंस्कार का विरोध करेंगे वे स्मार्त कहलायेंगे, मार्ग गुरु के आदेश से या दो पुरोधा की सिफारिश से तात्विक बोर्ड उन्हें अभिज्ञा पत्र देगा। जो सभी तात्विक सेवाकार्य में विशेष अभिज्ञ होंगे, उनमें से जो अपने को बड़ी विपत्ति में डाल कर भी साहस के साथ सभी प्रकार के शोषण का विरोध करेंगे, उन्हें 'जीवमित्रम्' की संज्ञा दी जायगी। मार्ग गुरु के आदेश से या दो पुरोधा की सिफारिश से तात्विक बोर्ड उन्हें अभिज्ञा-पत्र देगा। जीवमित्रम् या स्मार्त के लिये क्षौर कर्म नहीं करने का फल बहुत उत्तम है, तो भी इसमें कोई बाध्यता नहीं है।

किसी पतिता नारी या निर्वासिता नारी को (वह चाहे सधवा, विधवा, स्वामी परित्यक्ता या और जो कुछ भी क्यों न हो) अपने पौरुष की सहायता से निर्यातनकारियों के हाथ से उद्धार करे, यदि कोई तात्त्विक ऐसी नारी की सम्मति से उससे विवाह या विवाह की व्यवस्था करे तब वह तात्त्विक भी अपनी निजी पसन्द के अनुसार 'जीवमित्रम्' या स्मार्त कोई एक आख्या पाने का अधिकारी होगा।

स्मार्त और जीवमित्रम् समाज में आचार्य के समान पूजनीय हैं और इस कारण से आवश्यकता बोध होने पर भी एक मात्र

पुरोधा को छोड़कर और कोई भी उनके विरुद्ध सामाजिक शास्ति-मूलक व्यवस्था देने के अधिकारी नहीं होंगे।

(४) आचार्य के साथ सम्पर्क

पूर्व का कोई सम्पर्क नहीं रहने पर आचार्य के साथ वयोगत दादा या भाई का सम्पर्क और शिक्षा भाई के उम्र में छोटा होने पर आचार्य की चरणधूलि ग्रहण करेंगे—और आचार्य उम्र में छोटा होने पर भी शिक्षा भाई इच्छा के अनुसार उनकी पदधूलि ले सकता है, साष्टांग नहीं। गुरुभाइयों के लिए भी यह नियम प्रयोज्य है। आचार्य को हमेशा मर्यादा युक्त शब्द से सम्बोधित करना होगा।

(५) शिलान्यास

मिलित ईश्वर प्रणिधान करेंगे और इसके बाद प्रधान व्यक्ति ईंट स्थापन करते हुए बोलेंगे—

'अयमारम्भः शुभाय भवतु।'

Ayama'rambhah Shubha'ya bhavatu

इसके बाद सभी एक साथ बोलेंगे—

"आज का यह शिलान्यास सर्वतोभाव से सार्थक हो। इस शिला के समीप प्रतिवेशी मधुमय हो, प्रतिवेशी के समीप यह शिला मधुमय हो, इस शिला के ऊपर हम यथाशीघ्र कुटीर निर्माण कर सकें।"

ॐ शांतिः ॐ शांतिः ॐ शांतिः।

(६) गृह प्रवेश

गृह को (पत्र, पुष्प, कलश इत्यादि द्वारा) सुसज्जित करके उषाकाल में सर्वप्रथम गृहिणी, तत्पश्चात उस परिवार की अन्यान्य स्त्रियां, गृह प्रवेश करेंगी (दीक्षित व्यक्ति गुरुमंत्र का स्मरण करते हुए) इसके बाद वे लोग जब शंख ध्वनि करेंगी उस समय पुरुषगण गृह प्रवेश करेंगे—उनके साथ आमंत्रित पुरुष तथा स्त्रियां भी रहेंगी। इसके बाद आचार्य अथवा (आचार्य नहीं रहने पर) किसी वयोवृद्ध का अनुसरण कर सभी एक स्वर से कहेंगे—

ओंम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्वर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमांअस्तु सूर्यो माध्वर्गावा भवन्तु नः

ओंम् मधुः ओंम् मधुः ओंम् मधुः॥

आज का यह गृह-प्रवेश हर प्रकार से सार्थक हो। इन गृहियों के लिये पड़ोसी मधुमय हों और पड़ोसियों के लिये ये सभी गृहवासी मधुमय हों। इस गृह के लिये सभी गृही मधुमय हों। इन गृहवासियों के लिये यह गृह मधुमय हों। इस गृह को रक्षा हम लोग यथा योग्य कर सकें और इसको बढ़ा सकें। यह गृह हमलोगों को शान्तिमय आश्रय दे सके।

ओंम् शान्ति, ओंम् शान्ति, ओंम् शान्ति।

(७) वृक्ष रोपण

गुरुमंत्र जप करते-करते प्रथम वृक्ष रोपण करोगे। इसके बाद सामान्य जल सेवन करते-करते बोलोगे—(मिलित उत्सव करने-पर आचार्य या वयोज्येष्ठ को अनुसरण करते हुए)

आज का रोपित यह वृक्ष जिसके फल, फूल, गन्ध, मधु, पत्र और छाया के द्वारा हमलोगों के समीप मधुमय हो उठे। हम सभी सेवा, खाद्य, जल, वायु और आलोकदान की व्यवस्था के द्वारा इसके समीप मधुमय हो उठें।

ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति।

तुलसी, नीम, अशोक, युकेलिप्टस आदि विशेष उपकारी वृक्षों को और फल, छाया तरु आदि का यत्नपूर्वक श्रद्धा के साथ पालन करोगे।

८ यात्रा प्रकरण

यात्रादि के समय तुम तिथि—नक्षत्र का विचार नहीं करोगे। गुरु मन्त्र के द्वारा यात्रा में ब्रह्म भावना का आरोप कर प्रयोजनीय स्थान के उद्देश्य से प्रस्थान करोगे।

तिथि—नक्षत्रादि करके चलने से सदा साथ में एक पंजिका (पत्रा) रखना पड़ता है—यह सम्पूर्ण रूप से वास्तव धर्म का विरोधी है।

(९) विवाह-विधि

आर्थिक अवस्थानुसार विवाह-गृह और विवाह स्थान रुचि के अनुकूल सजा लोगे और सम्भव हो तो वाद्य और सगीत के द्वारा उत्सव प्रांगण को मुखरित करोगे। विवाह-स्थान में एक ऊँची जगह पर प्रतीक स्थापित करोगे। विवाह के समय सुगन्धित धूप का व्यवहार कर सकते हो। विवाह में कम से कम दस व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। परिच्छन्न वेश-भूषा में सज्जित होकर वर-वधू विवाह-मण्डप में प्रवेश करेंगे और परस्पर सम्मुखीन होकर आसन ग्रहण करेंगे। शंखध्वनि या अन्य किसी प्रकार की मंगल ध्वनि द्वारा उपस्थित व्यक्ति उनका आह्वान करेंगे। आचार्य का निर्देश पाने के बाद समवेत ईश्वर प्रणिधान कर लेंगे।

दो आचार्य (एक व्यक्ति गात्र पक्ष में और दूसरा पात्री पक्ष में) अभाव में एक आचार्य, अभाव में एक वयोज्येष्ठ व्यक्ति विवाह का पौरोहित्य करेगा।

प्रथम आचार्य कहेंगे:—

ओम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतोषसो मधुमत पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमांअस्तु सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः

ओम् मधुः ओम् मधुः ओम् मधुः ॥

इसके बाद आचार्य का अनुसरण कर विवाहार्थी पुरुष कहेगा—"मैं परमब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूं

कि श्रीमती ... .को मैं स्वेच्छा से स्त्री रूप में ग्रहण करता हूं। आज से मैंने इसके भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, प्रभृति का हर प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया।"

इसके बाद आचार्य कहेंगे—

ओंम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः ओंम् मधुः ओंम् मधुः ओंम् मधुः ॥

इसके बाद विवाहार्थिनी स्त्री कहेगी—"मैं परमब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करती हूँ कि मैं श्री ... ...को अपनी इच्छा से स्वामी रूप में ग्रहण करती हूँ। आज से इनके सांसारिक जीवन का सभी कार्यभार मैंने ग्रहण किया।"

इसके बाद आचार्य कहेंगे —

ओम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिव रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः ओॅम् मधुः ओंम् मधुः ओंम् मधुः ॥

इसके बाद आचार्य का अनुसरण कर विवाहार्थी पुरुष कहेगा —"मैं परमब्रह्म तथा मार्गगुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहणकर कहता हूँ कि मैं अपनी इच्छा से श्रीमती... ...को स्त्री रूप में ग्रहण करहा हूँ। आज से मैं इसकी मानसिक शान्ति की रक्षा तथा मानसिक उन्नति के लिये हर प्रकार से सचेष्ट रहूंगा।"

इसके बाद आचार्य कहेंगे—

ओम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु, सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः ओम् मधुः ओम् मधुः ओम् मधुः ॥

इसके बाद विवाहार्थिनी स्त्री कहेगी—"मैं परमब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहती हूँ कि मैं श्री... को स्वामी रूप में ग्रहण करती हूँ। आज से मैं इनकी मानसिक शान्ति रक्षा तथा मानसिक उन्नतिके कार्य में हर प्रकार से सचेष्ट रहूँगी।"

इसके बाद आचार्य कहेंगे—

ओंम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिव रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्वि गावो भवन्तु नः ओॅम् मधुः ओंम् मधुः ओंम् मधुः ॥

इसके बाद विवाहार्थी पुरुष कहेगा—"मैं परमब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण लेकर कहता हूँ कि मैंने श्रीमती... .....स्त्री रुप में ग्रहण किया। मैं आज से इसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिये सब तरह से सचेष्ट रहूँगा।

इसके बाद आचार्य कहेंगे—

ओॅम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतषसो मधुमत् पार्थिव रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता

मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः
ओँम् मधुः ओँम् मधुः ओँम् मधूः ॥

इसके बाद विवाहार्थिनी स्त्री कहेगी—मैं परमब्रह्म तथा मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहती हूँ कि मैंने श्री..... को स्वामी रूप में ग्रहण किया। मैं आज से इनके आध्यात्मिक विकास के लिये हर तरह से सचेष्ट रहूंगी !"

उपस्थित व्यक्तिगण (कम से कम दस व्यक्ति) आचार्य का अनुसरण करके कहेंगे— "परमब्रह्म और मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि हमलोग इस विवाह के साक्षी हुए। करुणामय ब्रह्म की कृपा से हमलोग यथा शक्ति इस नव दम्पति की सर्वांगीण उन्नति के लिये सहायक हो सकें।"

नव वर-वधू परस्पर माला पहना देंगे और तीन बार माला बदल देंगे। माला के अभाव में फूल देंगे वर चाहे तो वधू के मांग में सिन्दूर तीन बार देगा। *वधू भी इच्छा होने पर वर की त्रिकुटी में सिन्दूर का टिप दे सकती है। नव वर–वधू हाथ से हाथ मिलायेंगे शंखध्वनि या अन्यान्य मंगल ध्वनि भी हो सकती है और सम्भव होने पर गीत वाद्य की भी व्यवस्था हो सकती है। नव वर–वधू आचार्य को और अभिभावक को प्रणाम करेंगे।

विवाह के उपलक्ष में प्रीतिभोज का आयोजन करना सम्पूर्णतया इच्छाधीन है वह व्यक्ति विशेष की आर्थिक सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करेगा। उधार या कर्ज लेकर प्रीतिभोज की व्यवस्था करना निषिद्ध है।

कतिपय निर्देश

१ अभिभावकगण पुत्र तथा कन्या के विवाह के लिए देश और जाति का विचार नहीं करेंगे, किन्तु वंश और पात्र-पात्री के गुण-अवगुण का विचार अवश्य करेंगे। विवाह के सम्बन्ध में बात पक्की करने के पहले पुत्र और कन्या का विचार जानकर ही काम करेंगे। जहां अभिभावकगण विवाह की बात तय करेंगे वहां विशेष ध्यान देंगे कि पितृकुल मे तीन पीढ़ी ऊपर तथा तीन पीढ़ी नीचे और मातृकुल में भी तीन पीढ़ी ऊपर और नीचे तक जिनका सम्बन्ध है, उन लोगों के बीच विवाह न होगा।

२ विवाह के कम से कम एक दिन पूर्व देख सुन लेंगे और वर-कन्या दोनों में कोई वैमत्य नहीं है इसको स्पष्ट रुप से जानना होगा।

३ पुत्र-कन्या यदि स्वयं ही विवाह ठीक करें, तो वहां अभिभावक

---

* वि० प्र० :—जिस अंचल में मांग में सिन्दूर देने की प्रथा नहीं हो वहां उसका व्यवहार करना पुत्र–वधू की इच्छा पर निर्भर करेगा। विवाह के पूर्व या बाद में स्थानीय प्रचलित प्रथानुसार अन्यान्य अनुष्ठान और स्त्री आचारादि किया जा सकता है। तब वह आवश्यक नहीं है और हो तो ध्यान रखना चाहिए कि वह मार्गीय आदर्श के विरुद्ध नहीं हो।

के लिये उचित है कि वे सम्मति दें। अभिभावक यदि समझें कि यह विवाह हानिकारक है, तो वे पुत्र-कन्या को फिर से इस विषय पर विवेचना करने को कहेंगे। इस पर भी यदि वे विचार न बदलें, तो वहाँ अभिभावक विवाह की सम्मति देंगे, किन्तु उस विवाह का कोई उत्तरदायित्व उन पर न रहेगा।

(४) विवाह न करने का उपयुक्त कारण न होने पर सभी कोई विवाह कर सकेंगे। अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्थायें तथा अन्य परिस्थितियाँ देख कर ही विवाह सम्बन्ध का निर्णय करना उचित है। विवाह के सम्बन्ध में किसी पर दबाव देना उचित नहीं है। आनन्दमार्ग के मतानुसार विवाह धर्मसाधना में बाधक नहीं है। विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है।

(५) मार्गीय पुरुष मार्ग से बाहर की स्त्री के साथ विवाह कर सकते हैं, किन्तु मार्गीय स्त्री को यथासम्भव मार्गीय पुरुष के साथ विवाह दान देना उचित है। मार्ग से बाहर उपयुक्त पात्र मिलने पर उसके साथ विवाह दान दे सकते हैं, किन्तु उसको शीघ्र ही मार्ग में लाने की चेष्टा करनी होगी।

(६) विवाह में कोई भी पक्ष तिलक दहेज का दावा नहीं कर सकता है।

(७) विधवा तथा स्वामी परित्यक्ता नारी पुनर्विवाह कर सकेगी। ऐसी स्त्री का ब्याहने वाला पुरुष समाज में विशेष मर्यादा पायेगा।

उस स्त्री के पूर्वस्वामी से उत्पन्न सन्तति के पालन-पोषण का दायित्व उस पुरुष को लेना पड़ेगा।

८ समाज परित्यक्ता नारी की सद्भाव से जीवन यापन करने की इच्छा होने पर उसको भी विवाह का सुयोग देना होगा। वैसी स्त्री को मार्गीय प्रथा के अनुसार यदि कोई पुरुष विवाह करे तो उस विवाह को यथार्थ मर्यादा देनी होगी।

९ निराश्रित नारी से विवाह कर पौरुष का परिचय देना होगा। किसी भी रूप से उसे अवहेलित जीवन-यापन करने नहीं देना।

१० एक स्त्री के वर्त्तमान रहने पर दूसरा विवाह नहीं करना ही उचित है। तब कभी-कभी सामाजिक या पारिवारिक प्रयोजन से एक से अधिक विवाह स्वीकार किया जा सकता है। * एकाधिक विवाह करने का प्रयोजन होने पर पाँच व्यक्ति (एक आचार्य का होना अच्छा है।) विशिष्ट व्यक्ति के समीप वर्त्तमान स्त्री की अनुमति लेंगे, स्त्री की अनुमति के बिना द्वितीय विवाह नहीं करना होगा। यही पाँच व्यक्ति विशेष रूप से आवेदक की कथा की सत्यता पर विचार करेंगे।

*वि०प्र०:—सामाजिक प्रयोजन—यथा, मानो, यदि कभी पुरुष की अपेक्षा नारी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाय, तब सामाजिक शुचिता की रक्षा के लिए पुरुष को एकाधिक विवाह कर लेना होगा।

पारिवारिक प्रयोजन:—स्त्री के चिररुग्ना (इसीलिए

११ आनन्द मार्ग में जारज सन्तान मानकर किसी को नीच नहीं समझा जायेगा। ऐसी अवस्था में उस सन्तान के पिता-माता को विधि-पूर्वक विवाह करने के लिए बाध्य करना होगा तथा ऐसी अवस्था में आवश्यकता पड़ने पर एक पुरुष को एक से अधिक विवाह स्वीकार करना पड़ेगा। अबैध सन्तान की मर्यादा रक्षा के लिए पहली स्त्री की अनुमति का प्रयोजन नहीं होगा।

१२ आनन्द मार्ग का विवाह मंत्रादि जिस प्रकार है उससे विवाह विच्छेद का प्रश्न ही नहीं उठता है। किन्तु तब भी अत्यावश्यक क्षेत्र में दुश्चरित्रता, दायित्वहीनता या निष्ठुरता का अभियोग होने से विवाह विच्छेद स्वीकृत हो सकता है। अभियोगकारी या अभियोगकारिणी अपना आवेदन मार्ग के पांच प्रधान व्यक्तियों के पास करेंगे। उन पांच व्यक्तियों में एक आचार्य का होना आवश्यक है। वे लोग अभियोग की सत्यता के विषय में सन्देह रहित होने पर आवेदनकारी या आवेदनकारिणी को पुनर्विवेचना के लिये छः महीना समय देंगे। फिर भी यदि आवेदन वापस नहीं हो तथा उस समय तक अभियोग का कारण भी अपरिवर्त्तित रहे तो विवाह विच्छेद स्वीकार करना होगा। इस विषय में सम्पत्ति का बंटवारा की पद्धति समयानुसार निर्धारित होगी।

कर्मशक्तिहीना) और वन्ध्या होने पर और स्वस्थ होने तथा सन्तान होने की आशा नहीं रहने पर वंश रक्षा और पारिवारिक कार्य के संचालन के लिए पुरुष का द्वितीय विवाह किया जा सकता है।

(१०) जन्मतिथि–कृत्य

मिलित ईश्वर प्रणिधान के बाद गुरुजनों का आशीर्वाद और मंगल तिलक व कनिष्ठों का प्रणाम और माल्य चन्दन ग्रहण कर उपहार और आहार्य ग्रहण करोगे। सभी मांगलिक अनुष्ठान में धूप-दीप, शंख ध्वनि इत्यादि अपरिहार्य अंग न होने पर भी व्यवहार किया जा सकता है।

*****

(११) सामाजिक उत्सवों का अनुष्ठान

मार्ग के उत्सव के मध्य विभिन्न प्रकार के आनन्दानुष्ठान की व्यवस्था रखो किन्तु नजर रखो कि उस अनुष्ठान के भीतर आनन्द को अपहरण करने वाले प्रकारान्तर से अपने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति–विधान का सुयोग प्राप्त करें।

सामाजिक उत्सव होंगे—

१ आनन्द पूर्णिमा—वैशाखी पूर्णिमा।

२ श्रावणी पूर्णिमा।

३ शारदोत्सव—आश्विन शुक्ल षष्ठी से लेकर दशमी पर्यन्त।

४ दीपावली—कार्त्तिकी अमावस्या।

५ भ्रातृ द्वितीया—कार्त्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया।

६ नवान्न— जिस देश की प्रधान फसल जिस ऋतु में कटती

है उसी ऋतु में किसी पूर्णिमा तिथि को नवान्न उत्सव प्रतिपालित होगा।

७ नववर्ष दिवस—आन्तर्जातिक पंजिका के प्रथम दिन (वर्त-मान में प्रथम जनवरी) और स्थानीय वर्ष पंजी के प्रथम दिन।

८ वसन्तोत्सव—फाल्गुनी पूर्णिमा।

अनुष्ठान सूची

१. बैसाखी पूर्णिमा (आनन्द पूर्णिमा) :—स्नानमन्त्र के साथ मिलित स्नान, दोनों बेला मिलित ईश्वर प्रणिधान और मिलित वर्णार्घ्यदान। रात और दिन में मिलित भोज; आनन्दानुष्ठान, तत्व सभा, कार्यकर्त्ताओं का वार्षिक सम्मेलन और बच्चों का खेल कूद।

२ श्रावणी पूर्णिमा — दोनों बेला मिलित ईश्वर प्रणिधान, और सम्मिलित वर्णार्घ्यदान, दिन और रात में मिलित भोज, आनन्दानुष्ठान. तत्व सभा, साहित्य सभा और मिलित शोभा यात्रा।

३. शारदोत्सव—

क) षष्ठी (शिशु दिवस) —एक वेला मिलित ईश्वर प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान, आनन्दानुष्ठान, शिशु स्वास्थ्य प्रदर्शनी, शिशु-क्रीड़ा प्रदर्शनी और बच्चों का मिलित भोज।

ख) सप्तमी (साधारण दिवस)—शिशुओं को छोड़कर अन्य व्यक्तियों

के लिये) एक बेला मिलित ईश्वर प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान आनन्दानुष्ठान, युवक-स्वास्थ्य प्रदर्शनी तथा क्रीड़ा और शक्ति प्रदर्शनी आदि।

ग) अष्टमी (ललित कला दिवस)—एक बेला मिलित ईश्वर प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान, आनन्दानुष्ठान, साहित्य-सभा, कविता-पाठ, चित्रांकन, नृत्य तथा अन्यान्य ललित कला प्रदर्शनी।

घ) नवमी (संगीत दिवस)—एक बेला मिलित ईश्वर प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान, आनन्दानुष्ठान, कंठ एवं वाद्य संगीत और संगीत-नृत्य प्रतियोगिता।

ङ) दशमी (विजयोत्सव)—रंगीन वस्त्र पहनकर बाजे गाजे के साथ शोभायात्रा, मिलित ईश्वर प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान, प्रणाम, आलिंगन, सहभोज, अतिथि-सत्कार आदि।

परिचालक मंडली की इच्छानुसार उपर्युक्त सभी दिनों में शिक्षाप्रद अभिनय की व्यवस्था की जा सकती है।

४ दीपावली (कार्त्तिकी अमावस्या) एक बेला मिलित ईश्वर प्रणिधान और वर्णार्घ्यदान, मिलित आनन्दानुष्ठान, रोशनी अपने-अपने घर पर अतिथि अभ्यगतों का सत्कार आदि।

५ भ्रातृ द्वितीया—भ्राता अपनी बड़ी बहिन से आशीर्वाद और माथे पर तिलक एवं छोटी बहिन से प्रणाम, चन्दन और माला ग्रहण करके भोजन करे गे।

मन्त्र—"भ्राता मे चिरायुर्भवतु" (तीन बार)

Bhra'ta me cira'yurbhavatu

६ नवान्न—कम से कम एक अतिथि को आमन्त्रित कर खिलाओ और उनके साथ ईश्वर-प्रणिधान करो। सम्मिलित आनन्दानुष्ठान ही प्रधान विषय होगा।

७ नव वर्ष दिवस—दो बेला सम्मिलित ईश्वर प्रणिधान और वर्णाध्यंदान मिलित आनन्दानुष्ठान सभी उम्र के लोगों के साथ खेलो, कूदो और दोपहर और शाम का भोजन मिलित रुप से करोगे।

८ वसन्तोत्पव (होलिकोत्सव)—फाल्गुन पूर्णिमा के पूर्वाह्न में रंग और फूल लेकर समवयस्कों के साथ खेलो। छोटे लोग बड़ों को अथवा शिक्षा भाई अपने आचार्य को रंग या फूल पांव पर देंगे लेकिन बड़े लोग छोटे व्यक्तियों को रंग या फूल नहीं देंगे। अपराह्न में मिलित ईश्वर प्रणिधान करो और (अबीर अथवा मन पसन्द रंग के फूल से) मिलित वर्णाध्यंदान दो। तदुपरान्त इस अबीर या फूल को लेकर आपस में खेलो। इस समय छोटे-बड़े या आचार्य शिक्षा भाई का विचार नहीं रहेगा। इस अबीर और फूल को किसी के पांव पर मत दो लेकिन खेलते-खेलते यदि किसी के पांव में लग जाय तो श्री आनन्दमूर्त्ति जी के विचार से इसे जरा भी दोषयुक्त नहीं माना जायेगा। पुरुष स्त्रियों के साथ अथवा स्त्रियां पुरुषों के साथ अबीर रंग या फूल का व्यवहार नहीं करेंगी। अन्त में मिलित भोज करोगे। उत्सव के दिन

पूर्वाह्न में अपने घर पर और सन्ध्या में सम्मिलित आनन्दानुष्ठान करोगे।

विशेष द्रष्टव्य :—

क) परिवारिक अथवा सामाजिक उत्सवों में सुविधानुसार परिवर्त्तन किया जा सकता है।

ख) वर्णाध्यंदान के सम्बन्ध में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही प्रकार वर्णाध्य का मूल्य समान है। अतएव इस विषय में लोगों को केवल दिखाने के लिये कोई कुछ मत करे।

ग) सभी परिवारिक उत्सवों में धर्मचक्र का और सामाजिक उत्सवों में धर्मचक्र के साथ तत्त्वसभा का अनुष्ठान अवश्य करना होगा।

—:०:—

(१२) स्नान विधि और पितृ--यज्ञ

पहले नाभी पर जल डालोगे। उसके बाद सामने से नाभी से निम्नस्थल पर जल डालेंगे। तत्पश्चात् पीछे के स्थान में जल डालेंगे। इसके बाद ब्रह्मरन्ध्र (ब्रह्मतालु) पर जल इस विधि से डालेंगे कि वह मेरुदण्ड पर से बहता हुआ नीचे गिरे। उसके बाद पूर्ण स्नान करेंगे। पानी में डुबकी लगाकर स्नान करने के पहले प्रथम कमर, नाभी और नाभी के नीचे वाले स्थान में उपरोक्त नियम से जल डालोगे और तब डुबकी लगाकर स्नान करेंगे।

स्नान करने के बाद किसी प्रकार के चमकते हुए पदार्थ को देखते हुए विधिवत् मुद्रा में रहकर नीचे लिखे हुए मन्त्र का उच्चारण करेंगे—

*पितृपुरुषेभ्यो नमः ऋषिदेवेभ्यो नमः ।

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं, ब्रह्मकर्मसमाधिना ।

Pitrpurus'ebhyo namah Rsi devebhyo namah Brahma'rpanam' Brahma havirbrahma'gnao Brahman'a'hutam. Brahmaeva tena gantavyam' Brahmakarma sama'dhina'.

इस मंत्र का उच्चारण तीन बार करेंगे और साथ ही साथ तीन बार मुद्रा करेंगे। इस प्रकार मनीषी और पूर्व पुरुषों का स्मरण करना पितृ-यज्ञ कहलाता है। पिता की जीवितावस्था में भी यह किया जा सकता है। मुद्रा की विधि आचार्य सिखायेंगे।

मन में रखना होगा कि स्नानान्त में यह करना है।

---

*मन्त्रार्थ :—

पितृ पुरुषों को प्रणाम।

देवऋषियों को प्रणाम।

(जिन्होंने नूतन वस्तुओं का आविष्कार कर मानव समाज को प्रगति का पथ प्रशस्त किया है उन्हें ऋषि कहते हैं।)

जो ठंढक के कारण रोग-ग्रस्त हुए हों वे घिरे हुए स्थान में गर्म पानी से स्नान करेंगे। धूप में गर्म किया हुआ जल भी अच्छा है। विशेष शीत प्रधान जलवायु में गर्म पानी का व्यवहार करोगे। जो डूबकर स्नान नहीं कर सकते उनके लिए बैठकर स्नान करना उचित होगा। खड़ा होकर स्नान नहीं करना ही अच्छा है।

मध्य रात्रि में स्नान करना निषेध है। कोई भी व्यक्ति मध्य रात्रि की संध्या में स्नान नहीं करेंगे। शेष तीन संध्याओं में (प्रथम संध्या, द्विप्रहर-संध्या और सायं-संध्या) कोई भी एक सभी व्यक्ति को स्नान करना ही होगा। बचे हुए दो बेला स्नान के लिए अपनी स्वास्थ्य और जलवायु देखते हुए कोई भी एक या दोनों बेला स्नान किया जा सकता है।

सन्ध्या किसे कहते हैं —

१) सूर्योदय से ४५ मिनट पहले से लेकर सूर्योदय होने के ४५ मिनट बाद तक का समय प्रातःकाल कहा जाता है।, और इस प्रातःकाल को प्रथम सन्ध्या कहते हैं।

२) दिन में ९ बजे से १२ बजे तक का जो समय है उसे द्विपहर कहते हैं।

३) सूर्यास्त होने से ४५ मिनट पहले और सूर्यास्त होने के ५

अर्पण रुप क्रिया ब्रह्म है, जो अर्पित है वह भी ब्रह्म है, जिसमें अर्पित होता है वह ब्रह्म है, जो अर्पित करता है वह ब्रह्म है, ब्रह्म का कर्म समापन कर वह ब्रह्मत्व में ही लीन होगा।

मिनट बाद तक के समय को सायं-सन्ध्या कहा जाता है।

ब) रात में १२ बजने से ४५ मिनट पहले और १२ बजने के ४५ मिनट बाद तक (११.१५ मिनट से १२.४५ मिनट तक) के समय को मध्यरात्रि कहा जाता है।

[१३] धर्मचक्र

एकत्रित भाव से ईश्वर प्रणिधान और धर्मीय आलोचना करने का नाम धर्मचक्र है। सब कोई पंक्तिबद्ध होकर पास-पास बैठोगे। स्त्रियाँ अलग पंक्ति में बैठेंगी। जो अब आवेंगे, किसी से बिना कोई बात किये, उपयुक्त स्थान पर बैठ जायेंगे।

निर्दिष्ट समय में ईश्वर प्रणिधान करोगे। काम समाप्त होने पर निःशब्द उठेंगे और मिलित सभा के लिये ठहरेंगे। ईश्वर प्रणिधान का आचार्य द्वारा निर्दिष्ट समय समाप्त हो जाने पर संकेत पाते ही बाकी लोग भी (जो अभी तक ईश्वर प्रणिधान में लगे थे) उठ जायेंगे और एक साथ सभा में शामिल होंगे। सभा के कार्य के आरम्भ में निम्नलिखित मन्त्र की आवृति करोंगे।

संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानतां।
देवाभागं यथापूर्वे संजानाना उपासते।
समानी व आकुति समाना हृदयानिवः।
समानमस्तु वोमनो यथावः सुसहासति॥

Sam'gacchadhvam' sam'vadadhvam' sam'vomana' m'si ja'nata'm'
Deva'bha'gam' yatha'pu'rve sam'jana'na' upa'sate
Sama'nii va a'kuti sama'na' hrdaya'nivah
Sama'namastu vomano yatha'vah susa'ha'sati.

निर्देश :—

१ प्रति रविवार को स्थानीय आचार्य द्वारा निर्दिष्ट समय में धर्मचक्र की व्यवस्था करनी होगी। उत्सव के दिन में भी धर्मचक्र की व्यवस्था कर सकते है।

२ स्वस्थ रहने पर धर्मचक्र में योगदान करना ही होगा। राज्यकार्य अथवा रोगी की सेवा के लिए यदि कोई निर्दिष्ट समय में धर्मचक्र योगदान नहीं कर सके तब उस दिन किसी भी समय में जागृति में जाकर ईश्वर प्रणिधान कर लेंगे। यदि यह भी सम्भव न हो तो सप्ताहान्त में एक बेला उप ा करेंगे।

३ धर्मचक्र में सभी अवश्य ही एक आसन में बैठेंगे। एवं समाज सम्मत वस्त्र का व्यवहार करेंगे।

मन्त्रार्थ—

(१) सभी एक साथ चलो, सभी एक भाववारा प्रकाश करो,

धर्म पिपासु अमार्गीय अपना उद्देश्य जनाकर जागृति [आश्रम] के परिचालक की अनुमति लेकर दर्शक या श्रोता की हैसियत से धर्म-चक्र में उपस्थित रह सकते हैं। धर्मचक्र में प्रश्न करने का अधिकार केवल आनन्दमार्गियों को रहेगा, अमार्गियों को नहीं। आमार्गियों को धर्मचक्र में उपस्थित रहने की अनुमति देना अथवा नहीं देना पूर्ण रुप से जागृति के परिचालक की इच्छा पर निर्भर करता है।

जिज्ञासु अमार्गियों की सुविधा के लिये तत्व सभा की व्यवस्था की जायगी।

तुम लोग सभी के मन को एक साथ मिलाकर एक विराट् मन की सृष्टि करो।

(२) पूर्वकाल में देवता लोग जिस प्रकार यज्ञ की हविः को ग्रहण करते थे, तुमलोग भी उसी तरह मिलित भाव से जगत् की सभी सम्पत्ति का व्यवहार करो।

(३) तुम सब का एक आदर्श हो, तुम सभी सब के साथ अभिन्न हृदय हो।

(४) तुम सभी लोग अपने-अपने मन को एक भाव से बनाओ जिससे तुम लोग सभी, सुन्दर रुप से एक साथ मिल जा सको।

(१४) तत्वसभा

केन्द्रीय समिति, ग्राम-समिति या जिला-समिति सुविधानुसार कभी-कभी प्रकट रुप से तत्व सभा का आयोजन करेगी। उसमें बाहर के लोगों को भी भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु साधना विषयक आलोचना करने का अधिकार उन्हें नहीं होगा।

(१५) जागृति

तुम लोग मिलित प्रचेष्टा से जागृतिभवन (साधारण पूजा स्थान) निर्माण करोगे। तुमलोग जागृतियों में एकत्रित होने एवं मिलित भाव से धर्मानुष्ठान करने के स्थान के रुप में व्यवस्था करोगे।

जागृति आनन्द मार्गियों की साधारण सम्पत्ति है इसलिए उसकी पवित्रता की रक्षा करनी होगी।

(१६) श्राद्धानुष्ठान

आचार्य तथा कम से कम पाँच स्वस्थ व्यक्ति और श्राद्धकर्ता उपस्थित रहेंगे। मृतक के निकटतम आत्मीय उनके प्रधान श्राद्धाधिकारी रुप में गण्य होगा। अवश्य श्राद्धाधिकार मार्ग के सभी साधकों को रहेगा।

ओंम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावोभवन्तु नः

ओंम् मधुः, ओंम् मधुः, ओंम् मधुः ।।

(एक बार)

२) हे परमेश्वर, हमलोगों के परम आत्मीय श्री .....की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत् से उपर, जगत् के सुख-दुःख से बाहर है। हे परमेश्वर, उसकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करें।

(तीन बार)

३) हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री..... .....आज सभी प्रकार के जागतिक कर्त्तव्य बन्धन से मुक्त हो गये हैं। आज उनकी अमर आत्मा पूर्ण रुप से तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर शाश्वत शांति लाभ करें।

(तीन बार)

४) हे परमेश्वर, हम लोगों के परम आत्मीय श्री——के प्रति हमलोगों का जो सामाजिक दायित्व था, उससे तुमने आज हमलोगों को मुक्त किया है। आज हमलोगों ने अपने हृदय को समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारे पुत्र या पुत्री को तुम्हारी स्नेहमही गोद में प्रत्यार्पित किया। तुम अपनी वस्तु ग्रहण कर हमलोगों को कृतार्थ करो।

(तीन बार)

५) हे परमेश्वर, आज तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद से अलग होकर जगत् के त्रिताप में दग्ध हो रहे है दिवस के अवसान में वे लोग तुम्हारे स्नेहमय आश्रय से वंचित न होवें।

(तीन बार)

६) ओंम् मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्विर्णः सन्त्वोषधि मधुनक्तमुतसो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमाँअस्तु सूर्यो माध्विर्गावो भवन्तु नः

ओंम् मधु, ओंम् मधुः, ओंम् मधुः ।।

(एक बार)

इसके बाद श्राद्धकर्त्ता से लाया गया जल पहले आचार्य, उसके बाद सभी उपस्थित व्यक्ति, एक ही पात्र से चुल्लुभर लेकर पान करेंगे। सब से अन्त में श्राद्धकर्त्ता वह जल ग्रहण करेगा।

सर्वेऽत्र सुखिनः भवन्तु
सर्वेसन्तु निरामयः
सर्वेभद्रानि पश्यन्तु
न कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्।

ओंम् शान्ति, ओंम् शान्ति, ओंम् शान्ति ।।

Sarve'tra sukhinah bhavantu
Sarvesantu nira'maya'h
Sarvebhadra'ni pasyantu
Na'kashcidduhkhama'pnuya't
On,m' sha'nti, On,m' sha'nti, On,m' shanti.

कतिपय निर्देश :—

१) शोक का समय बारह दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। तुम लोग इच्छा होने से उसी बारह दिन के भीतर किसी दिन सुविधानुसार श्राद्धकर्म सम्पन्न कर सकते हो। शोक समय में अपने को व्यर्थ कष्ट देना या लोगों को दिखाने के उद्देश्य से कुच्छ साधन नहीं करना चाहिए।

२) श्राद्ध के बाद उन्नत जाति का साँढ़ या भैंसा, भेंड़ा, छाग या दूसरा कोई गृहपालित पशु जन कल्याण हितार्थ दान किया जा सकता है। किन्तु वह अवश्य ही उन्नत जाति का पुरुष पशु होना चाहिये। ऐसी कोई बात नहीं है कि श्राद्ध में पशु दान करना ही होगा। पशु को व्यापक रुप से दागना उचित नहीं है। परन्तु उक्त पशु की रक्षा हेतु दागना आवश्यक समझने पर उसके कपाल अथवा लोम रहित स्थान पर एक बिन्दु के बराबर दाग दिया जा सकता है। उस पशु के प्राप्त वयस्क न होने तक उसकी देख–भाल का भार उत्सर्ग करने वाले गृहस्थ को ही लेना होगा। बाद में उसका दायित्व ग्रामवासियों को सामूहिक रूप से अवश्य ही लेना पड़ेगा।

इस प्रकार से उत्सर्ग किये गये पशु की हत्या घोरतम समाज विरोधी कार्य समझा जायेगा।

मन्त्रार्थ :—

उपस्थित सभी जन सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों।
सभी वस्तुओं को मधुमय देखें, कोई भी रोगग्रस्त न होवें।
ब्रह्म शान्ति, ब्रह्म शान्ति, ब्रह्म शान्ति।

(१८) आदर्श दायाधिकार व्यवस्था

दायाधिकार व्यवस्था साधारणतः निम्नलिखित रुप से होनी चाहिये।

१) पिता-माता की स्थावर तथा अस्थावर सम्पत्ति पुत्र और पुत्री समान अंश में पायेंगे। पुत्री उस स्थावर सम्पत्ति का आजीवन भोग करेगी। किन्तु हस्तान्तर नहीं करेगी। उसकी मृत्यु के पश्चात् वह सम्पत्ति उसके पितृकुल में वापस चली जायेगी।

२) विधवा अपने स्वामी का सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा श्वसुर,सास की सम्पत्ति में देवर, भसुर, ननद के साथ समान अंश पायेगी। स्वामी अथवा श्वसुर-सास से प्राप्त स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तरण का अधिकार-उसे नहीं रहेगा.। उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह हो जाने पर उस सम्पत्ति को उसके पुत्र, पुत्री उनके अभाव में देवर, भसुर, के उत्तराधिकारी पायेंगे। देवर, भसुर अथवा इन लोगों के उत्तराधिकारी के अभाव में विधवा उस सम्पत्ति का, हस्तान्तरण अधिकार के साथ, अपनी इच्छानुसार व्यवहार कर सकती है। किन्तु पुनर्विवाह करने पर उस सम्पत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं रह जायेगा। वैसी दशा में वह सम्पत्ति श्वसुर कुल के निकटतम आत्मीय को मिलेगी।

३) पुनर्विवाह करने वाली विधवा यदि अपने पहले पति द्वारा उत्पन्न नाबालिग सन्तान को अपने साथ रक्खे तो वैसी दशा में उस

सन्तान के पितृकुल को सम्पत्ति का अभिभावक के नाते, वह देख-भाल कर सकती है। किन्तु उस सम्पत्ति का किसी अवस्था में भी उसके नये पति या उस नये पति से उत्पन्न सन्तति द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। प्रथम पति की सन्तान यदि अपने पिता के घर में रहना चाहें तो उस हालत में उस सम्पत्ति का देख-भाल का भार उसके पितृकुल के निकटतम आत्मीय पर देना होगा।

४) स्थावर या अस्थावर धन, जिसे स्त्री ने स्वयं उपार्जित किया है, उसके सभी पुत्र, पुत्रियां (एक या एक से अधिक) कुल की होने पर भी समान रुप में पायेंगी। विवाह में प्राप्त उपहार, अलंकार, यां आनुषंगिक द्रव्य इत्यादि अथवा किसी भी रुप में दान स्वरुप प्राप्त स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति आदि स्वयं उपार्जित सम्पत्ति समझी जायगी।

५) विवाह विच्छेद करने वाली स्त्री परित्यक्त पति की सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रहेगी। उस स्त्री की सन्तान के प्रतिपालन का आर्थिक भार उक्त सन्तान के पिता पर रहेगा (क्योंकि वे पितृकुल की सम्पत्ति के अधिकारी भी रहेंगे।) लेकिन वह स्त्री जितने दिन तक इच्छा हो, प्रथम पति द्वारा उत्पन्न सन्तान को अपने साथ रख सकती है। उस समय भी उस सन्तान के प्रतिपालन का आर्थिक भार उस स्त्री के प्रथम पति पर ही रहेगा। लेकिन वह नारी यदि पुनर्विवाह के बाद भी अपने प्रथम पति द्वारा उत्पन्न सन्तान को अपने एक

साथ रखना चाहे तो वैसी हालत में इस विषय की सम्मति देना अथवा न देना उसके प्रथम पति की इच्छा पर निर्भर करता है। उसकी इच्छा के विपरीत जितने दिनों तक उस स्त्री के साथ वह सन्तान रहेगी उतने दिनों तक उसके प्रतिपालन का आर्थिक भार उस नारी के प्रथम पति पर नहीं रहेगा।

६) विल या दान पत्र छोड़कर साधारणतः एक कुल की सम्पत्ति दूसरे कुल में नहीं जायेगी। किन्तु किसी स्त्री का भाई या भाई का उत्तराधिकारी न रहने पर वह स्त्री हस्तान्तरण अधिकार सहित उस सम्पत्ति की अधिकारिणी बनेगी और उसकी मृत्यु पर उसके पुत्र, पुत्रियाँ माता की स्वयं उपार्जित सम्पत्ति के समान उसका अधिकारी बनेंगी।

७) अविवाहित व्यक्ति अथवा निःसंतान दम्पत्ति की सम्पत्ति उनके कुल के ही निकटतम आत्मीय के अधिकार में जायगी।

८) प्रयोजन देखकर दायाधिकार व्यवस्था में काल के अनुसार संस्कार कर लोगे।

—१०:—

(१९) स्त्री-पुरूष का सामाजिक सम्पर्क

स्त्री का मित्र स्त्री और पुरुष का मित्र पुरुष होंगे। बिना प्रयोजन का दूसरे के साथ बात करना उचित नहीं है। प्रयोजन अनुसार

मिल जुल सकते हैं, किन्तु पुरुष और नारी एक साथ वृथा वार्तालाप नहीं करेंगे, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं है।

छोटी बहन की सखी को नाम धर कर पुकार सकते हैं। सभा समिति में स्त्री पुरुष का एक साथ भाग लेने तथा बैठने में आपत्ति नहीं है, किन्तु स्त्रियों की सुख-सुविधा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। धर्म सभा में भी एक साथ बैठना निषेध नहीं है।

यदि बातचीत करना अत्यावश्यक हो तो जो स्त्री मार्गी नहीं है। उसे माँ, दीदी, बहिन या बेटी कह कर सम्बोधन करोगे।

पराई स्त्री को माँ कहकर सम्बोधित करना सबसे उचित है। किन्तु जहाँ वैसा सम्बोधन पूर्ण रूपेण श्रुतिकटु हो वहाँ माता, बहिन, बेटी या अन्य कोई विशेष मर्यादायुक्त शब्द का व्यवहार करोगे। समावस्था तथा किसी विशेष प्रयोजन को छोड़कर पर नारी तथा पर पुरुष का परस्पर स्पर्श यथासम्भव नहीं होना चाहिए। आयु में छोटी होने पर स्त्री को बहन कहकर सम्बोधित करना ही ठीक है। 'तुम' शब्द का व्यवहार अवस्था देखकर करोगे।

अभिनय जीविनी नारी (नटी) को छोड़कर अन्य कोई नारी पुरुष के साथ अभिनय नहीं कर सकती है।

अभिनय जीवी पुरुष (नट) को छोड़कर अन्य कोई भी पुरुष स्त्री के साथ अभिनय नहीं कर सकता है। विशेष अवस्था और विशेष नाटक में त्रुटियुक्त चरित्र के अभिनय के लिये जो नट नटी नहीं हैं ऐसे नर

पुरुष के मिलित अभिनय की कठोर नियमावली, पुरोधा की अनुमति लेकर विशेष अवस्था में या किसी विशेष नाटक में आचार्यगण भी चाहें तो अभिनय कर सकते हैं।

(२०) प्रणाम विधि

प्रणाम तीन प्रकार का है :—(१) साष्टांग प्रणाम, (२) चरणास्पर्श प्रणाम, (३) नमस्कार।

साष्टांग प्रणाम :—

१) यह मुद्रा सरलता का प्रतीक है। एक मात्र केवल मार्गी गुरु के उद्देश्य में ही साष्टांग प्रणाम विधेय है। यह मार्गी के प्रति सरलता का परिचय देता है।

चरणास्पर्श प्रणाम :—

२) पहले हाथों से प्रणम्य व्यक्ति का चरणस्पर्श करके फिर उन्हीं हाथों से अपना मस्तक स्पर्श करना ही चरणास्पर्श प्रणाम है। यह प्रणाम केवल उन्हीं व्यक्तियों का किया जा सकता है जो लौकिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से प्रणम्य हैं।

उक्त प्रकार के व्यक्तियों को छोड़कर चरण-स्पर्श प्रणाम और किसी को नहीं करोगे। जिसकी तुम श्रद्धा नहीं करते हो, वह कोई भी क्यों न हो, उसको चरण स्पर्श करके प्रणाम मत करो।

नमस्कार :—

१) पहले दोनों हाथों को जोड़कर दोनों हाथों के अंगुष्टों से त्रिकुटी (आज्ञाचक्र) स्पर्श कर, मस्तक बिना झुकाये एक परमात्मा ज्ञान का अभिवादन करने का नाम नमस्कार है। यह सबको (सम-वयस्क या अधिक वयस्क वालों को) किया जायेगा।

किसी से भी तुम हाथ मत मिलाओ क्योंकि यह स्वास्थ्य तत्व के विरुद्ध है और किसी की भी तुम कुरनीस मत करो, क्योंकि तुम किसी के भी गुलाम नहीं हो। इसलिए ये गुलामी का प्रतीक [दास्य वृत्ति] कुरनीस करना पूर्ण रुप से निषेध है।

(२१) निमन्त्रण विधि

किसी को निमन्त्रण देते समय गृहकर्त्ता स्वयं व उनकी पत्नी अथवा उनका [गृहकर्त्ता का] स्थानीय भाई या स्थानीय बहिन में से कोई व्यक्ति—अभाव में स्थानीय पुत्र या स्थानीय पुत्री में से कोई व्यक्ति घर का उपयुक्त प्रतिनिधि माना जायगा और वही निमंत्रित करने जायेंगे। जितना सम्भव हो सके निमंत्रण घर में दिया जाय। किन्तु जहाँ स्पष्ट रुप से मालूम हो जाय कि निमंत्रणकारी उसी उद्देश्य से आया है घर पर जाना प्रयोजनीय नहीं है।

निमंत्रण का उपलक्ष उपहार देना हो तो फूल का उपहार देना

सबसे अच्छा होगा। तोभी फूल देना भी अनिआवश्यक नहीं है।

किसी वस्तु को उपहार के रुप में देने की एकान्त इच्छा होने पर अन्यान्य निमंत्रित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में या अन्य किसी दिन देना होगा अन्यथा वह कार्य समाज विरोधी माना जायगा।

(२२) शव [मृतदेह] सत्कार

व्यक्ति विशेष की इच्छानुसार उसके मृत देह को दाह की जा सकती है अथवा उसे मिट्टी के नीचे गाड़ दी जा सकती है। उक्त व्यक्ति ने यदि कोई इच्छा न प्रकट की हो तो वैसी हालत में उसका दाह करना ही उचित होगा।

निर्देश।—

१) शव को निःशब्द वहन करोगे।

२) शवदाह या गाडने के पूर्व मिलित ईश्वर प्रणिधान करोगे।

३ चिता के लिए दाह संस्कार; दाहान्त और अग्नि निर्वाचन कार्य पहले मृतक के पुत्र या स्थानीय पुत्र करेंगे।

४) दाह करते समय मृत शरीर की सम्मान की रक्षा करोगे और सम्पूर्ण शव को जला दोगे। अधजले मृतक को जल में बहा देने से पृथिवी में गाड़ देना बहुत अच्छा है।

५) शवदाह का शारीरिक तथा आर्थिक दायित्व समाज का है।

इस के लिये सन्तप्त परिवार पर किसी प्रकार का दायित्व देना उचित नहीं है।

(२३) पोशाक परिच्छद

अपनी सुविधानुसार अपने पसन्द का पहनावा ओढ़ावा व्यवहार करोगे। वस्त्रादि सर्वदा परिष्कृत रखोगे [यह शौच का एक अंग है] जिससे तुम्हारा पोशाक देखकर लोग तुम्हारे बारे में अकारण हीन धारणा न कर लें।

स्त्रियाँ घर से बाहर निकलते समय खूब साधारण और सादा वस्त्र पहनेंगी। शरीर को अच्छी तरह ढंककर बाहर निकलेंगी। उत्सव इत्यादि के समय अथवा साथ में पुरुष अभिभावक के रहने पर या सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था रहने पर पोशाक विषयक

---

*वैज्ञानिक उपाय से दाह क्रिया की व्यवस्था होने पर उससे अच्छी और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। किन्तु जहाँ यह सम्भव नहीं है वहाँ वीभत्स रुप से या मृतदेह को वस्त्रहीन करके दाह नहीं किया जाय। क्योंकि उससे अनुष्ठान की गम्भीरता तथा पवित्रता नष्ट हो जाती है और दर्शकों के मन में वीभत्स भावना की सृष्टि होती है। वीभत्सता के कारण ही तुम लोग मुंह में आग देनेवाली क्रिया छोड़ दोगे।

कठोरता कुछ कम की जा सकती है। अलंकार के सम्बन्ध में भी यही नियम मानकर चलना चाहिये।

(२४) आहार

भोजन के समय अपनी सुविधा के अनुसार आसन में बैठोगे। अकेले भोजन करने की अपेक्षा सम्मिलित भोजन करना उचित है। क्रोधित या हीन-प्रवृत्ति-ग्रस्त अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए।

अनेक मिलकर एक ही पात्र में आहार ग्रहण करते समय जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनका भाग ग्रहण नहीं करोगे क्योंकि उसे खाने से स्वस्थ व्यक्ति को भी रोग विस्तार हो सकता है। जिनका संक्रामक व्याधि नहीं है उनके बीच एक ही पात्र में आहार करने से कोई दोष नहीं है। परन्तु वह अच्छा ही दिखता है।

भोजन के समय यदि तुम्हारे पास और कोई हो तो उन्हें भी अन्न का भाग देना होगा। यदि वे भोजन नहीं करना चाहें तो पूछ लेना होगा कि उनके पास खाद्य पदार्थ है कि नहीं।

आहार्य :—

जगत् की सभी वस्तुओं में सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणों में किसी न किसी एक विशेष गुण की प्रधानता पायी जाती है। अतएव खाद्य वस्तु भी गुण के अनुसार सात्त्विक, राजसी और तामसिक इन भागों में विभक्त है।

सात्त्विक आहार :–

१) चावल, गेहूं, जौ प्रभृति सभी प्रकार के मुख्य अन्न, मसूर और खेसाड़ी छोड़कर सब तरह की दाल, सभी तरह के फल, मूल, बैंगनी रंग का गाजर, सफेद बैंगन, प्याज, लहसून, कबक् छत्ता (Mushroom) छोड़कर सभी तरह की तरकारियाँ, दूध और दुग्ध जातीय पदार्थ, लाल पोय और सरसों का शाक छोड़कर सभी तरह की शाक, गरम मसाला छोड़कर हर प्रकार का मसाला और सभी प्रकार का मिष्टान्न व्यवहार किया जा सकता है। आसन के अभ्यासियों के लिये सात्त्विक आहार आवश्यक है। जिनके लिए हठात् राजसी आहार छोड़ना कष्टदायक है वे तत्काल के लिए भोजन के बाद एक छोटी हरें खा लेंगे। सात्त्विक भोजन करने वालों को अधिक परिमाण में सरसों या सरसों की बनी हुई वस्तुओं का व्यवहार नहीं करना ही अच्छा है। रात में मसूर और केलाई का दाल और एकादशी तिथि के रात में भात, दाल और शाक खाना मना है।

राजसिक भोजन :–

२) जो खाद्य पदार्थ सात्त्विक और तामसिक भोजन की श्रेणी में नहीं आते हैं उन सबको राजसी भोजन की श्रेणी में समझना चाहिए। विशेष देशों में तुषारपात के समय राजसी भोजन सात्त्विक भोजन की श्रेणी और तामसी भोजन राजसी भोजन की श्रेणी में आ जाता है।

तामसिक भोजन :–

३ बासी और सड़ी हुई वस्तु, गाय, भैंस इत्यादि बड़े जानवरों का

बाबा

मांस, सभी प्रकार की नशीली वस्तुएं (अल्प परिमाण में चाय, कोको तथा नशीली वस्तुएं जिनसे मनुष्य उत्तेजित या नशा में चेतनाहीन नहीं होते हैं उनकी गिनती राजसी भोजन की श्रेणी में है।) सन्धिनी-दुग्ध (हाल की ब्याई हुई गाय का दूध) उजला बैंगन, खेसाड़ी की दाल लाल पोय तथा सरसों की शाक।

मांसाहार :—

४) जिन्हें मांस खाने का लोभ अत्यन्त प्रबल है वैसे राजसिक तथा तामसिक वृत्ति सम्पन्न मनुष्य तथा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्ति जब कभी मांस खायेंगे तो वे केवल पुरुष अथवा नपुंसक प्राणी का मांस भक्षण करेंगे। अपनी जानकारी भर स्त्री पशु का मांस कोई भी ग्रहण न करे। गृहपालित स्त्री पक्षी का मांस कोई नहीं खाये। जिस मछली की जितनी बड़ी स्वाभाविक लम्बाई हो उससे एक चौथाई या उससे भी छोटी आकृति की मछली की हत्या मत करो।

जिस जाति की मछली का शैशव काल या गर्भकाल जिस ऋतु में उस ऋतु में उस मछली की हत्या मत करो। जैसे–वर्त्तमान काल में भारत समुद्र की स्त्री हिल्सा साधारण शारदोत्सव के बाद से फाल्गुनी पूर्णिमा तक गर्भिणी अवस्था में या सद्य प्रसूता अवस्था में रहती है।

———

(२५) जीविका निर्वाह

सत्पथ में रह कर अपने परिवार के भरणपोषण के लिए तुम लोग कोई भीजीविका ग्रहण कर सकते हो। मन में रखना कि पराय अन्न खाने से मलाकर्षी। (मेहतर) का जीवन श्रेय है। अपनी आम दनी का कम से कम पचासवाँ भाग जनसेवा में लगाने की चेष्टा करोगे अपने उपार्जन का सोलहो आना अपने लिये तथा अपने परिवार के लिये व्यय करने से क्रमशः तामसिकता छा जायगी। ललित कल (Fine Art) का व्यवहार कोई भी अर्थोपार्जन के लिये नहीं करेगा किन्तु अर्थाभाव के कारण गृहस्थी नहीं चलने पर अपने आचार्य के आदेशानुसार इस कठोरता को क्षणिक रुप से शिथिल किया जा सकता है।

—:o:—

[२६] नारी की जीविका

बुनाई, सिलाई, जहाँ सम्भव हो पशु पालन तथा खेती के छोटे छोटे कामों का भार नारियों को लेना चाहिये। सक्षेप में, सद्भाव से घर में रहकर अर्थोपार्जन नारियों के लिये वाँछनीय है। तब, इस तरह समस्या का समाधान न होने पर घर स बाहर नौकरी या

व्यवसाय इत्यादि अधिक परिश्रम वाले काम में भाग ले सकती है। इस सम्बन्ध में किसी के मन में किसी कुसंस्कार या रुढ़िवादिता का भाव रहना उचित नहीं है।

---

(२७) अर्थ–नीति

अपने सबको एक यौथ परिवार का सदस्य मानकर जगत् की समस्त सम्पत्ति को तुम सब लोग मिल जुलकर व्यवहार करोगे। याद रखो समाज के प्रत्येक शिशु, प्रत्येक मनुष्य के प्रति तुम्हारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से दायित्व है। अपने को उन लोगों से अलग करके रहने की चेष्टा मत करो। जो धन का अपव्यवहार या अपव्यवहार करते है वे विश्व पिता की अवज्ञा करते हैं; क्योंकि वे उनके अन्य सन्तान को अर्थात् अपने निज के अन्यान्य भाईयों को अपनी न्याय युक्त प्राप्ति से वचित करके रखना चाहते हैं। ये सभी लोग वास्तव में मानसिक व्याधि से ग्रस्त हैं। इन सभी समाज शोषकों को मानसिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा सत्पथ में लाने की चेष्टा करोगे और इस प्रकार की चेष्टा अगर सफल न हो तो परिस्थिति का दबाव डाल कर उनको सतपथ में लाने के लिए बाध्य करोगे एवं स्थायी रुप से उनकी मानसिक व्याधि दूर करने के लिए आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करोगे। याद रखो, मनुष्य के प्रति वास्तव में प्रेम रहने से ही उसका सुधार किया जा सकता है।

[२८] विधवा

विधवा नारी को खाद्य, अलंकार पोशाक तथा मंगल अनुष्ठान संक्रान्त व्यापार में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। विधवा होने के कारण उस पर जबर्दस्ती कोई कठोर विधि-निषेध या उपवास आदि की व्यवस्था दबाव डालकर नहीं की जायगी। किन्तु साधना के कारण यदि कोई खाद्याखाद्य का विधि-निषेध मानकर चलता है तो बात भिन्न है।

—:o:—

[२९] विज्ञान तथा समाज

विज्ञान को सर्वदा जन-कल्याण कार्य में लगाओगे। जो विज्ञान की ध्वंसकारी शक्ति को लेकर काम करते हैं, वे मानव जाति के शत्रु हैं। सात्विक भाव लेकर विज्ञान को प्रोत्साहन देना होगा। विज्ञान तथा जगत् की शक्ति जबतक सत्त्वगुणियों के हाथ में नहीं जायेगी तब तक जीव की सामग्रिक उन्नति दूर ही रहेगी।

[३०] आदर्श गृहस्थ

आदर्श गृहस्थ को चाहिये कि जहाँ तक सम्भव हो मनुष्य तथा पशु का अन्न द्वारा प्रतिपालन करे।

१) आर्त और अतिथि :—

आर्त और अतिथि की सेवा के लिए पराङ्मुख नहीं होगे। आर्त और अतिथि की कुल, शील, धर्मगत विचार नहीं करोगे।

२) पशु-सेवा :—

दूध देने वाली पशु को मातृतुल्य देखोगे और सेवा करोगे। दूध देने की शक्ति नष्ट होने पर भी उसको अनादर व हत्या नहीं करोगे।

३ भिखारी :—

भिखारी सेवा की सर्वश्रेष्ठ पद्धति होगी उसको खिलाना। घर में भोजन तैयार नहीं रहने से कोई खाद्य वस्तु (चावल, दाल, आटा कोई भी कच्चा शाक-सब्जी) दोगे। आवश्यकता बोध होने से उसका चिकित्सा वस्त्र वा घर की व्यवस्था भी कर दोगे, क्योंकि जितने दिन भिखारी समस्या है और राष्ट्र जितने दिन उस समस्या को समाधान करने की दायित्व नहीं लेती है, उतने दिन वह दायित्व गृहस्थ को लेना ही होगा। भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन देना उचित नहीं है, परन्तु वास्तव में जो दुःखी है वे आहार बिना न मरे इसके लिए निश्चय ही व्यवस्था करना होगा। भिखारी को पैसा नहीं दोगे क्योंकि उससे अनेक को भिक्षा व्यवसाय का प्रलोभन हो सकता है।

—:o:—

(३१) सामाजिक शास्ति

कोई समाज विरोधी काम करनेपर आचार्य की व्यवस्था के अनुसार कठोर उपवास या अन्य किसी प्रकार का दण्ड के द्वारा पाप का प्रायश्चित करोगे। दण्ड केवल अपराधी व्यक्ति को दिया जायगा। उसके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को नहीं। त्रुटि दूर होते ही दण्ड की व्यवस्था हटा दोगे। दस मनुष्यों को धर्मभाव से अनुप्राणित करने से भी उनको त्रुटि संशोधित हो गई ऐसा मानना होंगा।

यदि किसी आनन्दमार्गी का आचरण के विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग हो तो वैसी हालत में उन्हें उनके आचार्य के पास लाना होगा। आचार्य यदि न हों तो जिन्होंने उनको आगे का साधना पद्धति सिखाया है उनकी दृष्टि में लाना होगा। यदि वे भी न हों तो इस हालत में समस्त अभियोग इकट्ठा कर शाखा सचिव या जिला सचिव के नजर में लाना होगा। ये लोग एक सप्ताह के भीतर केवल आचार्य को लेकर उस अभियोग का त्रिव्युनल तीन आदमी के सामने) बैठायेगा। अभियोग प्रमाणित हो जाने पर ट्रिव्युनल अभियुक्त व्यक्ति को उपयुक्त दण्ड विधान करेंगे। अभियुक्त व्यक्ति इच्छा करने पर ट्रिव्युनल के सदस्य से स्वीकृति लेकर जिला सचिव के निकट ट्रिव्युनल के अन्तिम निर्णय दिए हुए के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। जिला सचिव ही आचार्य को लेकर एक दूसरा ट्रिव्युनल गठन करेंगे। इसके

उपरान्त भी जिला सचिव के ट्रिव्युनल के राय से अगर सन्तुष्ट न हों तो ट्रिव्युनल के सदस्यों से सम्मति लेकर महासचिव के निकट आवेदन कर सकते हैं। इस हालत में महासचिव के दिए हुए राय या उनके ट्रिव्युनल का राय ही अन्तिम निर्णय मान लिया जायगा। अगर अभियुक्त व्यक्ति आचार्य हो तो इस हालत में केन्द्रीय आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी के नजदीक अभियोग बताना पड़ेगा। उस हालत में एक ट्रिव्युनल बैठायेंगे एवं अपराधी साबित होने पर ट्रिव्युनल उन्हें दण्ड विधान करेगा। अगर अभियुक्त व्यक्ति आनन्द मार्ग के किसी एक शाखा का जीवनदानी (*whole timer*) कार्यकर्त्ता हो (आचार्य न हो] इस हालत में उसके विरुद्ध अभियोग आनन्द मार्ग के शाखा के संश्लिष्ट प्रधान के नजर में लाना होगा। तब उस समय वो फिर एक ट्रिव्युनल बैठायेंगे और अभियोग प्रमाणित होने प ट्रिव्युनल उसका दण्ड विधान करेगा। अभियुक्त जीवन दानो अगर आचार्य हो उस हालत में केन्द्रीय आचार्य बोर्ड के सेक्रेटरी के नजदीक सीधा अथवा आनन्द मार्ग के उस शाखा के प्रधान इस विषय के जांच पड़ताल के लिए ट्रिव्युनल बैठायेंगे और अभियुक्त प्रमाणित होने पर दण्ड विधान

द्रष्टव्य :—

१] ट्रिव्युनल में तीन आदमी से अधिक रहना उचित नहीं है।

२] अभियोग हर हालत में लिखित हो जाना होगा।

३] यदि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध में लाये हुये समस्त अभियोग प्रमाणित न हों तो जो अभियोग प्रमाणित हो उसी का सजा जो पाना होता वही सजा ही अभियोग कारा को लेना होगा।

करेंगे। आचार्य लोगों के बारे में सिर्फ आचार्य बोर्ड ही शेष निर्णय देंगे। अगर आनन्द मार्ग की किसी शाखा के प्रधान के विरुद्ध अभियोग हो तो इस हालत में संघ के महामन्त्री [General Secretary] के नजदीक अभियोग लाना होगा। वे यदि इच्छा करे तो स्वयं अथवा उसके निर्वाचित ट्रिब्युनल द्वारा सलाह लेंगे।

(३२) साधना

धर्म साधना का उद्देश्य है, सर्वात्मक उन्नति। साधना जगत् को त्यागना नहीं सिखाता है, समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म सम्पत्ति को यथोचित रुप से काम में लाना ही साधना है। सामाजिक तथा अर्थनैतिक क्षेत्र में जेसे एक सुन्दर रीति से चलने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह शरीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में भी यथोचित नियमों का पालन करते हुए विज्ञानसम्मत भाव से आगे बढ़ना चाहिये।

शरीर और मन को स्वस्थ रख कर आगे बढ़ने के लिये निम्न लिखित कुछ बातों को मानकर चलना चाहिए।

१) यम साधन।

२) नियम साधन।

यम और नियम साधन के विषय में विशेष शिक्षा आचार्य से लेनी होगी। जगत् के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए वह पूर्णरूप से इसमें बताया गया है। यम-नियम के भीतर आदर्श

मानवता का बीज निहित है। जो इसमें सुप्रतिष्ठित हुए हैं, वे अविद्या का आश्रय लेने वाले अष्टपाश तथा षट्-रिपु के बन्धन से मुक्त हो गये है। यहाँ यह बात याद रखना जरुरी है कि रिपु और पाश को जीतना और त्यागना एक ही बात नहीं है। इनसे बचने के लिए रिपु और पाश को रखना होगा, किन्तु तुम उनके अधीन न रहोगे वे ही तुम्हारे अधीन रहेंगे।

३) आसन :—

जिस अवस्था में स्थिरता से सुखी रहा जाय उसी का नाम आसन है। आसन शरीर के ग्रन्थिसमूह को रोगमुक्त करता है। मन को साधना के उपयुक्त बनने में सहायता करता है। आचार्य की अनुमति लिये विना आसन करना उचित नहीं है।

प्राणायाम :—

प्राणवायु के साथ मन का अभेद सम्पर्क है। वायु की चंचलता से मन चंचल और मन के चंचल होने से वायु चंचल होता है। प्राणायाम में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा वायु नियन्त्रित होने से मन नियन्त्रित होता है। इसके फलस्वरुप साधना में विशेष सुविधा होती है।

प्राणायाम नहीं सीखने पर ध्यानाभ्यास में कुछ समय देर लग जाती है। प्राणायाम आचार्य से सीखोगे, अन्यथा विपत्ति में पड़ जाने की सम्भावना है।

५) प्रत्याहार :—प्रत्याहार शब्द का अर्थ है वापस ले लेना (withdrawal)। चंचल मन जब अवाध्य भाव से किसी विशेष

विषय की ओर जाता है तो उसको वापस ले आना। मार्ग गुरु के उद्देश्य में वर्णाध्यं प्रदान प्रत्याहार का सबसे सहज रास्ता है। मार्ग गुरू को स्थूल रुप से समीप न पाकर भी प्रत्याहार का अभ्यास किया जा सकता है। प्रत्याहार आचार्य सिखलायेंगे।

६) धारणा :—

चित्त को किसी विशेष देश में बाँध कर रखना धारणा (Conception) कहलाता है। उपयुक्त व्यक्ति को आचार्य यह पद्धति सिखला देंगे।

७) ध्यान :—

तैलधारावत् चित्त की एक धारा का नाम है ध्यान। मन की सभी वृत्तियों को ध्येय में निवद्ध रखना पड़ता है।

८) समाधि :—

आचार्य द्वारा बताई गई ध्यान पद्धति के अनुसरण से जब चित्तवृति निरुद्ध हो जाती है, तो उस अवस्था को 'समाधि' (निर्विकल्प) कहते हैं।

ईश्वर प्रणिधान द्वारा जो समाधि होती है उससे मैंपन का तथा चित्तवृत्ति का निरोध पूर्ण रुप से नहीं होता है किन्तु उससे भूमा में स्थिति होती है, जीव अनन्तत्व में प्रतिष्ठित होता है। इस अवस्था को भी 'समाधि' (सविकल्प) कहते हैं।

—:०:—

(३३) मार्गीय सम्पद्

तुम लोगों क सम्पद् :—उन्नत दर्शन, विश्व प्रेम, अत्युग्रएकता।

तुम लोगों का पताका :—त्रिकोण गेरुवा रंग के पताके में स्वास्तिक का चिन्ह।

तुम लोगों का प्रतीक :—ऊर्द्ध त्रिकोण, अधः त्रिकोण, उसके भीतर उदीयमान सूर्य और उसके भीतर स्वस्तिका—क्रमशः तेज, ज्ञान, अग्रगति और जय का प्रतीक।

तुम लोग सब तरह से अपनी सम्पद्, पताका, प्रतीक, और प्रतिकृति (मार्ग गुरु) की मर्यादा का रक्षा करोगे।

(३४) आत्म-विश्लेषण

यदि कोई व्यक्ति यम नियम के प्रतिकूल कोई आचरण करे तो उसी दिन या आगामी धर्म-चक्र के दिन किसी आचार्य के समक्ष अपने दोष को स्वीकार करेगा और दण्ड ले लेगा।

आचार्य दोषी व्यक्ति को शारीरिक अथवा मानसिक दण्ड देंगे। आर्थिक अथवा किसी अन्य प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायगा।

आचार्य समाज सेवा के हेतु दण्ड देने की चेष्टा करेंगे किन्तु किसी भी दशा में दोषी व्यक्तियों से अपने लिए सेवा नहीं लेंगे।

यदि दोष-निवारण की सम्भावना हो तो दण्ड प्रदान करने के बजाय दोषी व्यक्ति से दोष का निवारण करायेंगे और भविष्य में सावधान रहने का अनुदेश देंगे।

गम्भीर दोष के लिए आचार्य द्वारा सभी व्यक्तियों के सम्मुख दण्ड प्रदान किया जायगा किन्तु दोष के प्रकार का अभिप्रकाशन किसी के समक्ष नहीं होगा।

दोष युक्त आचरण हो या न हो, फिर भी आचार्य के समक्ष इस आशय का एक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा कि इस व्यक्ति ने यम—नियम के सिद्धान्तों का कहाँ तक पालन किया है।

इस सम्बन्ध में पिछले विवरण की तिथि को ध्यान में रखना होगा।

(यहाँ पर आचार्य का अर्थ कोई भी आचार्य)

(३५) तुम लोगों की विभिन्न संस्थायें

(क) केन्द्रीय—पुरोधाओं के वोट से केन्द्रीय संस्था का निर्वाचन होगा। उन्हीं सदस्यों में से प्रेसिडेण्ट का चुनाव होगा एवं प्रेसिडेण्ट अपनी इच्छानुसार केन्द्रीय—कार्य—समिति का गठन करेंगे। वे अपनी इच्छा से केन्द्रीय संस्था के सदस्यों के अलावे अन्य दूसरे, अधिक से अधिक वैसे तीन व्यक्तियों को कार्यकारिणी समिति में ले सकेंगे जो पुरोधा नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जिनका आचार्य होना अनिवार्य है।

केन्द्रीय संस्था की सर्वोच्च सदस्य संख्या ६० होगी तथा निम्नतम १५ होगी। केन्द्रीय कार्यकारणी-समिति के सदस्यों की संख्या प्रेसिडेन्ट की इच्छानुसार निर्धारित होगी।

केन्द्रिय संस्था के ८० प्रतिशत सदस्यों की इच्छा से केन्द्रीय संस्था की संख्या ६० से अधिक भी की जा सकती है।

ख) जिला:—

जो आचार्य और तात्विक दोनों ही हैं उनके वोट से, उन्हीं लोगों में से निर्वाचित सदस्य को लेकर जिला संस्था गठित होगी। वह संस्था अपने बीच में से चेयरमैन (Chairman) का चुनाव करेगी। चेयरमैन अपनी इच्छानुसार व्यक्तियों को लेकर जिला कार्य कारणी समिति बना लेंगे। उनकी इच्छा से अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो जिला संस्था के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। और जो आचार्य और तात्विक दोनो नहीं हैं लेकिन आचार्य या तात्विक है जिला कार्य-कारणी संस्था के सदस्य चुने जा सकते हैं जिला संस्था की सर्वोच्च संख्या २५ होगी। तथा निम्नतम संख्या १५ होगी। जिला कमिटी की कार्य-कारणी — समिति की सदस्य संख्या जिला समिति के ८० प्रतिशत सदस्यों की इच्छा से चेयरमैन द्वारा निर्धारित होगी। जिला संस्था की सदस्य संख्या २५ से अधिक भी की जा सकती है।

ग) ग्राम-समिति :—

जिला समिति के चेयरमैन या उनके अभाव में ऊर्ध्वतन समिति द्वारा ग्राम के चेयरमैन या उनके अभाव में केन्द्रीय समिति के प्रेसिडेंट

संगठक (Organiser) मनोनीत होंगे। वे अपनी इच्छानुसार व्यक्तियों को लेकर ग्राम समिति का संगठन करेंगे। उनकी मृत्यु के उपरान्त या उनकी कार्यवाही से यदि ग्रामवासी असन्तुष्ट हों तो मनोनयनकारी चेयरमैन व ग्राम वासियों की पसन्द के अनुसार व्यक्ति को संघटक के रूप में मनोनीत करेंगे। ग्राम में कार्यकारणी समिति ही रहेगी। इसकी सदस्य संख्या संघटक की इच्छानुसार निर्धारित होगी। सदस्य अगर आचार्य या तात्त्विक हों तो अच्छा है। यदि यथेष्ट संख्या में आचार्य या तात्त्विक उपलब्ध न हों तो मार्ग के अन्यान्य व्यक्तियों के बीच से ग्राम कार्य-कारिणी-समिति के सदस्य मनोनीत किये जा सकेंगे।

घ) राज्य समिति या देश समिति प्रभृति :—

यदि कहीं जिला समिति के ऊपर और केन्द्रीय समिति के नीचे अर्थात् प्रदेश, राज्य या विशेष देश के लिये कोई कमिटी कायम करने की आवश्यकता हो तो उस क्षेत्र में उस कमिटी का चेयरमैन, केन्द्रीय संस्था के प्रेसिडेण्ट द्वारा मनोनीत किया जायेगा। वे अपनी इच्छानुसार व्यक्तियों को लेकर कार्य-कारिणी-समिति बना लेंगे।

कार्य-कारिणी-समिति के सदस्यों की संख्या वे ही निर्धारित करेंगे। यथासम्भव वे उन्हीं व्यक्तियों में से सदस्य चुनेंगे जो आचार्य और तात्त्विक दोनों ही हों। ऐसे गुण सम्पन्न व्यक्ति उपयुक्तसंख्या में उपलब्ध नहीं होने से वे मार्ग के साधारण व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। यह कमिटी साधारणतः कार्यकारिणी समिति के जैसा मान्य होगी

लेकिन आवश्यकता पड़नेपर केन्द्रीय संस्था के प्रेसिडेण्ट की अनुमति से तथा सदस्यों की संख्या देखकर वे एक साधारण समिति का गठन कर सकते है। यह समिति कार्य कारिणी समिति को पूर्ण रुप से सहायता करेगी। इस समिति की रहस्य उन्हीं लोगों में से और उन्हीं लोगों द्वारा चुने जायेंगे, जो इसके क्षेत्राधिकार में हैं और आचार्य और तात्त्विक दोनों ही हैं। इस साधारण समिति को सदस्य संख्या भी ८० प्रतिशत सदस्यों के द्वारा निर्धारित होगी। इस समिति के चेयरमैन, प्रेसिडेण्ट के द्वारा मनोनीत होने पर भी, जहां पर साधारण सदस्यों द्वारा निर्वाचित संस्था है, वहां के कार्य-कारिणी-समिति के सदस्यों का मनोनयन केवल साधारण संस्था से ही करेंगे। योग्य व्यक्ति यथेष्ट संख्या में उपलब्ध न हों तो केन्द्रीय संस्था के प्रसिडेण्ट की अनुमति से साधारण संस्था के बाहर के व्यक्तियों को भी कार्य-कारिणी समिति (Executive Committee) में लिया जा सकता है। बाहरी (Outsider) सदस्यों की संख्या तीन से अधिक होने पर चेयरमैन को केन्द्रीय संस्था के प्रेसिडेण्ट सेविशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

(ङ) केन्द्रीय संस्था की निम्नस्थित समितियों की अवधि केन्द्रीय संस्था द्वारा निर्धारित होगी। केन्द्रीय संस्था की अवधि केन्द्रीय साधारण संस्था द्वारा निर्धारित होगी।

(च) आय:—ग्राम, जिला, प्रदेश, राज्य या देश कमिटी में से प्रत्येक अपनी आय का १/८ अंश अपने से ठीक ऊपर की कमिटी का देगी तथा शेष ७/८ अंश अपने अञ्चल में जन-सेवा तथा धर्म-प्रचार में व्यय करेगी, अर्थात् जो कमीटी केन्द्रीय समिति के ठीक नोचे

वह अपनीआय का १।८ अश केन्द्रीय संस्था को देगी। केन्द्रीय संस्था उस अंश से प्राप्त धन का उपयोग समस्त विश्व के लिएकरेगी।

(छ) केन्द्रीय समिति का काम-काज अंग्रेजी अथवा युग विशेष की विश्व भाषा में होगा। जिला समिति या ग्राम समिति का काम अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति के अभाव में वहां की स्थानीय भाषा में चलेगा।

(ज) समिति का कार्यालय मार्गो लोगों के एकत्रित होने के स्थान के रुप में व्यवहृत हो सकता है। केन्द्रीय, जिला और ग्राम समितियों का काम होगा जनसेवा और धर्म-प्रचार।

(झ) साधारणत: पुरोधा प्रमुख और केन्द्रीय समिति का प्रेसीडेन्ट एक ही व्यक्ति हों। तब यदि पुरोधा प्रमुख चाहें तो वे केन्द्रीय समिति का प्रेसीडेन्ट के हिसाब से काम नहीं भी कर सकते हैं: इस हालत में केन्द्रीय समिति का प्रेसीडेन्ट का मनोनयन पुरोधा प्रमुख करेंगे और वे प्रेसीडेन्ट का कार्यकाल निर्दिष्ट कर देंगे।

(ञ) काम की सुविधा के लिए केन्द्रीय संस्था उपरोक्त नियमों मे आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन, संयोजन तथा संशोधन कर सकती है।

*****

(३६) आचार्य, तात्विक, पुरोधा और तत्संश्लिष्ट पर्षद

आचार्य, तात्विक और पुरोधा का शिक्षार्थी प्रथम उपयुक्त योग्यता सम्पन्न व्यक्ति विशेष के पास शिक्षा लेगा और इसके बाद अन्य पांच

व्यक्तियों (आचार्य, तात्विक या पुरोधा जहाँ जैसा) के पास परीक्षा देगा। उसी परीक्षा के फलाफल के आधार पर केन्द्रीय आचार्य, तात्विक या पुरोधा पर्षद तत्सम्पर्कीय व्यक्ति को अभिज्ञान पत्र देंगे। उक्त अभिज्ञान पत्र में रजिष्टर्ड न० के साथ परीक्षकों का हस्ताक्षर रहेगा।

तात्विक, आचार्य, पुरोधा, धर्ममित्रम् शब्द योग्यता और कर्मतत्परता का प्रतीक है। वार्द्धक्य और पंगुता को छोड़कर अन्य किसी कारण से यदि कोई तात्विक, आचार्य या पुरोधा यथायथभाव से अपने अपने कर्त्तव्य सम्पादन में अक्षम हों वहाँ उनके अभिज्ञान-पत्र का रद्द करने का अधिकार केन्द्रीय तात्विक पर्षद; केन्द्रीय आचार्य पर्षद और केंद्रीय पुरोधा पर्षद को होगा। केन्द्रीय तात्विक पर्षद के सिद्धान्त के ऊपर पुनः विवेचना के लिए केन्द्रीय आचार्य पर्षद के पास आवेदन किया जा सकता है और उस क्षेत्र में केंन्द्रीय आचार्य की राय ही मान्य होगी। अनुरुप भाव से केंद्रीय आचार्य पर्षद के सिद्धांत के ऊपर पुनः विवेचना के लिए केंद्रीय पुरोधा पर्षद के निकट आवेदन किया जा सकता है और वहाँ शेषोक्त पर्षद की राय ही अन्तिम रुप से मान्य होगी। तात्विक, आचार्य, पुरोधा प्रभृति शब्द व्यक्तिगत योग्यता के प्रतीक के हिसाब से व्यवहृत होगा वंशधारा के साथ इसका कोई सम्पर्क नहीं होगा।

आनन्द मार्ग में किसी विशेष जटिल समस्या दिखाई पड़ने पर या किसी गुरुतर विसंगति के दिखाई पड़ने पर केंद्रीय पुरोधा पर्षद का

३७ अवधूत और अवधूत पर्षद

धर्म प्रचार और जन सेवा के काम में अत्यधिक व्यस्त रहने के फलस्वरुप पारिवारिक कर्त्तव्य सम्पादन जिनके लिये सम्भव नहीं हो वे आनुष्ठानिक भाव से सन्यास ग्रहण करने पर अवधूत कहलायेंगे। पुरोधा प्रमुख की स्वीकृति के आधार पर अवधूतों के द्वारा निर्वाचित ८ सदस्यों का एक अवधूत बोर्ड गठित होगा। निर्वाचित सदस्यों में एक व्यक्ति बोर्ड का सचिव होगा। अवधूत सम्बन्धी समस्त नियम-कानून, शास्ति-अनुशासन और अन्यान्य सब कुछ अवधूत बोर्ड के ही द्वारा निर्धारित होगा। अवधूत बोर्ड के द्वारा माना गया सिद्धांत अंतिम अनुमोदन के लिए पुरोधा प्रमुख के पास प्रेषित होगा। अवधूत पुरोधा प्रमुख को मानकर चलेंगे और उनके अनुमोदन के बिना अवधूत बोर्ड कोई भी सिद्धांत बल पूर्वक स्थापित नहीं करेगा।

३८आचार्य पर्षद

पुरोधा प्रमुख की स्वीकृति के आधार पर आचार्यों के द्वारा निर्वाचित आठ सदस्यों को लेकर आचार्य पर्षद गठित होगा। निर्वाचित सदस्यों में एक व्यक्ति, पर्षद का सचिव होगा। आचार्य सम्बंधित समस्त नियम-कानून, शास्ति अनुशासन और अन्यान्य सब कुछ आचार्य पर्षद के द्वारा निर्धारित होगा। आचार्य पर्षद के द्वारा गृहीत सिद्धान्त अन्तिम अनुमोदन के लिए पुरोधा प्रमुख के पास प्रेषित होगा।

सिद्धांत ही अन्तिम माना जायगा। पुरोधा पर्षद के सदस्यों के एक मत से जो सिद्धांत होगा समाज उसको मानेगा। पर्षद के सदस्यों में यदि एकमत न नहीं हो तब संख्याधिक्य का मत पर्षद के मतमें गन्य होगा। मतामत के व्यापार में दोनों दलों के बराबर होने पर सचिव का एक-एक मत ही पर्षद के मत रुप में गन्य होगा प्रत्येक आनन्द मार्गी को बिना तर्क के पुरोधा पर्षद के सिद्धांत को मानना ही होगा। पुरोधा पर्षद के सचिव 'पुरोधा प्रमुख' के नाम से अभिहित होंगे। पुरोधा प्रमुख का सिद्धांत अभ्रान्त और अन्तिम रुप से गन्य होगा। पुरोधा प्रमुख का सिद्धांत दूसरा कोई भी परिवर्त्तित नहीं करेगा। तब वे स्वेच्छा से उसका परिवर्तन कर सकते हैं। पुरोधा प्रमुख आजीवन अपने पद पर अधिष्ठित रहेंगे। तब अधिक अस्वस्थता आदि के कारण वे पद त्याग कर सकते हैं। पुरोधा प्रमुख के वोट से पुरोधा प्रमुख निर्वाचित होंगे। पुरोधा पर्षद के चार सदस्यों के बाकी तीन व्यक्तियों को पुरोधा ही निर्वाचित करेंगे। उनका कार्य काल ५ वर्षों के लिए होगा पांच वर्षों के पूर्ण होने के पहले यदि किसी को मृत्यु या कोई अस्वस्थता के कारण पद-त्याग करे तो उनके स्थान पर पुनः निर्वाचन होगा। पुरोधा पर्षद के किसी सदस्य के कार्यकलाप में निर्वाचनकारी पुरोधा के अधिकांश व्यक्ति यदि असंतोष प्रकट करें तो पुरोधा प्रमुख की सम्मति के आधार पर उनके स्थान पर पुर्णनिर्वाचन हो सकता है।

—:०:—

३९ तात्विक पर्षद

पुरोधा प्रमुख की स्वीकृति के आधार पर तात्विकों के द्वारा निर्वाचित १२ सदस्यों का तात्विक बोर्ड होगा। निर्वाचित सदस्यों में एक पर्षद का सचिव होगा। तात्विक सम्बन्धी समस्त नियम कानून, शास्ति अनुशासन और अन्यान्य सब कुछ तात्विक पर्षद के द्वारा निर्धारित होगा। तात्त्विक पर्षद द्वारा गृहीत सिद्धान्त अन्तिम अनुमोदन के लिए आचार्य पर्षद की सिफारिश के साथ पुरोधा प्रमुख के पास प्रेषित होगा।

(४०) गुरुवन्दना

अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया।
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।

वराभय और जानुस्पर्श मुद्रा प्रवर्त्तन के द्वारा श्री श्री आनन्द मूर्ति जी ने जिस शक्ति के स्पंदन की सृष्टि की है तुम उसी का आश्रय लेकर अपने को तथा जगत को सर्वात्मक कल्याण के पथ पर लेकर अग्रसर हो।

ओम् शांति, ओम् शांति, ओम् शांति।

आनन्द मार्ग प्रचारक संघ (केन्द्रीय)

द्वारा प्रकाशित पुस्तकावली

१	आनन्द मार्ग (हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती)	२.००
२	चर्याचर्य १ म खण्ड (बंगला) ...	०.७५
३	,, ,, (अंग्रेजी ...	१.००
४	,, ,, (हिन्दी)	१.००
५	,, २ य ,, (बंगला, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी द० मैथिली)	०.३०
६	,, ३ य ,, (बंगला)	.००
७	सुभाषित संग्रह १म, २य, ३य, ४थं और ५म खण्ड (बंगला)	२.००
८	,, १म, २य, और ३य (हिन्दी) प्रतिखण्ड	२.००
९	,, ,, १म खण्ड (मराठी)	२.००
१०	तत्त्वकौमुदी (बंगला, हिन्दी, मराठी)	०.५०
११	आज की समस्याएं (बंगला, हिन्दी, मराठी)...	०.५०
१२	जीवन वेद [हिन्दी, बंगला, उर्दू, उड़िया, सिन्धी, मराठी भोजपुरी, नेपाली	०.५०
१३	आनन्द सूत्रम [हिन्दी, बंगला] ...	०.७५
१४	मानुसेर समाज १म खण्ड [बंगला और हिन्दी]	२.००
१५	अभिमत [बंगला] ..	२.००
१६	यौगिक चिकित्सा व द्रव्यगुण [बंगला, हिन्दी]	२.००
१७	आनन्द दूत संकलित [१म और २य] एक प्रति	५.००
१८	A Guide to human conduct (Eng.)	०.५०
१९	Problem of the day (Do)	०.५०
२०	Idea and Ideology (Do)	४.००
२१	To the Patriots (Eng & Marathi), each Part	०.२५
२२	Human Society (I &II Part Eng.)	०
२३	Subhasita Samgraha I, 2, 3 & 4th each Part	.००
२४	Ananda Sutram (Eng.)	२.००